vè;k;–3

ifj;kstuk dk fØ;kUo;u

इस अध्याय में वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध प्रबंधन और चयनित सिंचाई परियोजनाओं के संचालित किये जाने सम्बन्धी चर्चा की गयी है।

y[kkijh{kk mís'; 2% ifj;kstukvksa dh dk;ksZa dk fu"iknu fer0;f;rk] dq'kyrk vkSj iHkkoh <x ls fd;k x;kA

> **vè;k; dk lkj**
>
> - वार्षिक मांग के सापेक्ष निधि की कमी ने बाणसागर नहर परियोजना के कार्यों की प्रगति को प्रभावित किया था। व्यय प्रबंधन उचित नहीं था क्योंकि वित्तीय देयता ₹ 141.64 करोड़ (बाणसागर परियोजना: ₹ 126.30 करोड़ एवं पहाड़ी बांध परियोजना: ₹15.34 करोड़) परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत भी निधि की कमी के कारण लंबित थी।
> - यद्यपि, बाणसागर नहर परियोजना की नई बिल ऑफ़ क्वांटिटी की मात्राओं को तैयार करते समय पुराने निरस्त अनुबंधों की मात्राओं में वृद्धि की गयी थी।
> - निविदा पारदर्शी नहीं थी क्योंकि तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत निविदा प्रपत्रों में मूल्य समायोजन के प्रावधान को सम्मिलित कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ निविदादाताओं को लाभान्वित किया गया था। अग्रेतर, विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य में मूल्य समायोजन के घटकों यथा श्रम, पेट्रोल एवं आयल ल्युब्रिकेन्ट के अंश को उचित अनुपात सुनिश्चित किये बिना ही तदर्थ आधार पर निर्धारित किया गया था।
> - लहचुरा एवं पहाड़ी बाँध परियोजनाओं हेतु अनुबंधों का गठन अपात्र निविदादाताओं के पक्ष में किया गया था।
> - मुख्य अभियंताओं द्वारा उनके अंतर्गत निहित वित्तीय शक्तियों से परे अधिक मात्रा में विभिन्नताओं को अनुमोदित किया गया था।
> - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता द्वारा 94 कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रकरणवार बिना औचित्य का परीक्षण किये ही ठेकेदार को 52 माह की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी।
> - अपर्याप्त निधि के कारण नहर प्रणाली की संरचनाओं का समुचित अनुरक्षण नहीं किया गया था।

3-1 iLrkouk

परियोजना तैयार करने एवं अनुमोदन के उपरांत परियोजना के क्रियान्वयन को आरम्भ करने के लिए निधि का आवंटन एवं उपलब्धता, वांछित भू–अध्याप्ति, अनुबंधों का गठन आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परियोजना के कार्यों के निष्पादन का गहन अनुश्रवण किया जाना चाहिए, जिससे निर्धारित लागत और समयान्तर्गत परियोजना को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जा सके तथा परियोजना के वांछित लाभों को समय से प्रदान किया जा सके।

3-2 foÙkh; çcèku

चयनित परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3-2-1 foÙkh; çcèku ¼ck.klkxj ugj ifj;kstuk ¼mÙkj çn'k½

3-2-1-1 vkoaVu vkj 0;;

परियोजना हेतु वर्ष 1996–21 की अवधि में राज्य बजट से धन प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997–98 से 2004–05 के दौरान ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और वर्ष 2004–19 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत सहायता अनुदान भी प्रदान किया गया था। वार्षिक राज्य बजट में बजटीय प्रावधान करके परियोजना के लिए ऋण सहित केंद्रीय सहायता निर्गत की गई थी। वर्ष 1996–21 के दौरान आवंटन और व्यय का वर्ष–वार विवरण *ifjf'k"V&3-1* में दर्शाया गया है तथा संक्षिप्त विवरण rkfydk 3-1 में दिया गया है।

rkfydk 3-1¼ fufèk;ksa dh o"kZ&okj fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	dsæh; _.k lgk;rk@dsæh; lgk;rk			jkT;k'k	dqy ;kx	0;;
	_.k	vuqnku	;kx			
¼1½	¼2½	¼3½	¼4¾½2½$¼3½	¼5½	¼6½¾½4½$¼5½	¼7½
1996–1997 से 2013–14	219.80	544.81	764.61	1715.13	2479.74	2479.74
2014–2015	0.00	47.92	47.92	117.27	165.19	165.19
2015–2016	0.00	55.04	55.04	54.96	110.00	110.00
2016–2017	0.00	64.64	64.64	132.36	197.00	197.00
2017–2018	0.00	63.36	63.36	133.62	196.98	196.98
2018–2019	0.00	15.51	15.51	166.49	182.00	180.76
2019–2020	0.00	0.00	0.00	50.50	50.50	50.50
2020–2021	0.00	0.00	0.00	39.20	39.20	39.20
;kx	219-80	791-28	1011-08	2409-53	3420-61	3419-37

(स्रोतः मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना, प्रयागराज)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत ₹ 3419.37 करोड़ के व्यय में मध्य प्रदेश सरकार के अंश ₹ 517.56 करोड़ के भुगतान को सम्मिलित करते हुए तीन संरचनाओं यथा बाणसागर बांध (₹ 459.66 करोड़), संयुक्त जल वाहिनी (₹ 40.04 करोड़) और संयुक्त पोषक नहर (₹ 17.86 करोड़) का निर्माण किया गया था। तालिका 3.1 में दर्शाए गए विवरण के अनुसार परियोजना पर किए गए व्यय के अतिरिक्त, कार्यों से संबंधित लंबित भुगतान (₹ 12.15 करोड़) और भूमि क्रय (₹ 0.46 करोड़) के कारण ₹ 12.61 करोड़ की वित्तीय देयता मार्च 2021 तक तीन खण्डों में लंबित थी। अग्रेतर, पुनर्वास कार्य हेतु वन विभाग को प्रदान की गई धनराशि ₹ 45 करोड़ की वसूली (मार्च 2021) किया जाना अवशेष था, क्योंकि गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं थी।

शासन द्वारा उत्तर में अवगत कराया (जुलाई 2022) गया कि भूमि क्रय हेतु ₹ 46.38 लाख तथा कार्यों के लिए ₹ 3.33 करोड़ की देयता भुगतान हेतु लंबित है जिसे बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि वन विभाग से ₹ 45 करोड़ प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि जुलाई 2018 में परियोजना के प्रारम्भ होने के बाद भी बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय देयता लम्बित रही (जुलाई 2022)।

3-2-1-2 fufèk;ksa dk de fuxZeu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के कार्य के लिए निधि जारी करना अनियमित रहा क्योंकि राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता, बाणसागर द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में वार्षिक मांगों के सापेक्ष मात्र 40 से 73 प्रतिशत निधि अवमुक्त की थी। विस्तृत विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

rkfydk 3-2% ck.klkxj ifj;kstuk gsrq ekax ds lkis{k voeqä fufèk

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	fufèk dh vko';drk	eq[; vfHk;Urk] ck.klkxj ifj;kstuk }kjk fufèk dh ekax ¼fuèkkZfjr vko';drk ds lkis{k çfr'kr esa½	jkT; ljdkj }kjk tkjh fufèk ¼ekax dh xbZ fufèk ds lkis{k çfr'kr esa½
2014–2015	363.09	234.59 (65)	165.19 (70)
2015–2016	197.90	277.90 (140)	110.00 (40)
2016–2017	300.00	322.00 (107)	197.00 (61)
2017–2018	290.59	270.59 (93)	196.98 (73)
2018–2019	271.33	265.54 (98)	180.76 (68)
2019–2020	90.57	79.20 (87)	50.50 (64)
2020–2021	47.93	39.20 (82)	39.20 (100)

(स्रोतः मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना, प्रयागराज)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना द्वारा निधि की आवश्यकता और लक्षित भौतिक प्रगति को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया था। यद्यपि, परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अनुमानित आवश्यकता से कम रही जिसका कार्य की भौतिक प्रगति पर परिणामी प्रभाव पड़ा जैसा कि rkfydk 3-2 में वर्णित है। वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत, परियोजना के विभिन्न घटकों के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति वर्ष 2014–21 के दौरान 27 से 89 प्रतिशत थी। पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के विभिन्नता व्यय विवरण के अनुसार, मुख्य अभियन्ता, बाणसागर परियोजना द्वारा निधियों के कम अवमुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति धीमी रहना एक प्रमुख कारण था।

3-2-1-3 lsUVst pktZst dk vfu;fer fopyu

राज्य सरकार के वर्ष 2011, 2014 एवं 2017 के आदेशों के अनुसार राजस्व शीर्ष में जमा किये जाने हेतु कार्यों के प्राक्कलनों में 6.875 प्रतिशत की दर से सेंटेज चार्जेज का प्रावधान किया जाना था।

विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, परियोजना की संशोधित लागत ₹ 3420.24 करोड़ में सेंटेज चार्जेज ₹ 177.72 करोड़[1] का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल ₹ 45.61 करोड़ की धनराशि सेंटेज चार्जेज के रूप में राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा की गयी थी (मार्च 2021) जबकि शेष सेंटेज चार्जेज (₹ 132.11 करोड़) की धनराशि को परियोजना के कार्यों पर अनियमित रूप से व्ययावर्तन कर व्यय किया गया था।

---

[1] ₹ 2585.08 करोड़ की कार्य लागत पर 6.875 प्रतिशत की दर से।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि वर्ष 2014–15 से 2021–22 की अवधि में कार्यों पर कुल ₹ 886.33 करोड़ व्यय किए गए थे। तदनुसार, कुल देय सेंटेज चार्जेज की धनराशि ₹ 57.02 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2021–22 तक ₹ 55.21 करोड़ की कटौती की गई थी तथा शेष राशि का भुगतान बजट आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही परियोजना पर सेंटेज चार्जेज के लिए ₹ 177.72 करोड़ जारी कर दिए थे, जिसमें से मात्र धनराशि ₹ 55.21 करोड़ राजस्व शीर्ष में जमा की गई थी (मार्च 2022)।

अतः परियोजना पर अन्य व्यय यथा मूल्य वृद्धि, भूमि लागत का भुगतान, आदि के लिए ₹ 122.51 करोड़ का अनियमित व्ययावर्तन किया गया था।

3-2-2 foÙkh; çcaèku & ygpqjk vkSj igkM+h Mse ifj;kstuk,¡

3-2-2-1 vkoaVu vkSj O;;

लहचुरा डैम परियोजना हेतु राज्य बजट से धन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना को वर्ष 2005–2011 के दौरान भारत सरकार से एआईबीपी के अंतर्गत ₹ 72.48 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान नाबार्ड से ₹ 157.28 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष–वार विवरण rkfydk 3-3 में दिया गया है।

rkfydk 3-3% ygpqjk cka/k ifj;kstuk gsrq vkoaVu ,oa O;;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	dsaæh; _.k lgk;rk@dsaæh; lgk;rk			jkT;ka'k	dqy ;ksx	O;;
	_.k	vuqnku	dqy			
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½¾¼2½$¼3½	¼5½	¼6½¾¼4½$¼5½	¼7½
2010 तक	46.66	47.23	93.89	87.27	181.16	181.16
2010–11	40.50	25.25	65.75	2.13	67.89	67.89
2011–12	22.48	0.00	22.48	1.18	23.66	23.66
2012–13	12.61	0.00	12.61	0.66	13.27	13.27
2013–14	9.50	0.00	9.50	0.50	10.00	10.00
2014–15	25.53	0.00	25.53	6.79	32.32	32.32
;ksx	157.28	72.48	229.76	98.53	328.30	328.30

(स्रोत : मौदहा बांध निर्माण खण्ड–1, महोबा)

इसके अतिरिक्त, पहाड़ी बांध परियोजना हेतु वर्ष 2009–10[2] से 2017–18 के दौरान राज्य बजट (₹ 131.88 करोड़) से धन और नाबार्ड से ऋण (₹ 222.32 करोड़) प्रदान किया गया था। आवंटन और व्यय की वर्षवार संचयी स्थिति rkfydk 3-4 में दर्शायी गयी है।

[2] परियोजना वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ हुई थी।

rkfydk 3-4% igkM+h Mse ifj;kstuk gsrq fufèk;ksa dk vkoaVu ,oa O;;

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	vkoaVu	O;;
2009–10	20.00	20.00
2010–11	31.28	31.28
2011–12	25.40	25.40
2012–13	20.28	20.28
2013–14	0.00	0.00
2014–15	134.75	134.75
2015–16	80.00	80.00
2016–17	20.00	20.00
2017–18	22.49	22.49
;ksx	354-20	354-20

(स्रोतः सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा)

लेखापरीक्षा द्वारा व्यय प्रबंधन में अवलोकित अनियमितताओं पर निम्नवत चर्चा की गई है:

3-2-2-2 Hk.Mkj dk vfu;fer fopyu ,oa O;; o`f)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर द्वारा पहाड़ी डैम परियोजना के बजट आबंटन से वर्ष 2014–16 की अवधि में पहाड़ी डैम परियोजना के अतिरिक्त अन्य परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना के दो खण्डों, (सिंचाई निर्माण खण्ड 3, ललितपुर और मौदहा बांध निर्माण खण्ड प्रथम महोबा) को परियोजना के उपयोग के लिए कुल ₹ 16.28 करोड़ की स्टॉक सामग्री (सीमेंट और इस्पात आदि) हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, संबंधित खण्डों ने अक्टूबर 2021 तक न तो स्टॉक सामग्री वापस की और न ही स्टॉक सामग्री के मूल्य का भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता द्वारा सीमेंट की आपूर्ति के लिए अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2017 के दौरान परियोजना भंडार, कानपुर को ₹ 2.07 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। यद्यपि, अधिशासी अभियंता द्वारा परियोजना भण्डार को इस संबंध में पत्राचार किये जाने के बाद भी अक्टूबर 2021 तक सीमेण्ट की आपूर्ति प्राप्त नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार, पहाड़ी डैम परियोजना के आधुनिकीकरण पर ₹ 18.35 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि स्टॉक सामग्री के वापसी/भुगतान के संबंध में संबंधित खण्डों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

3-2-2-3 nsunkfj;ksa dk l`tu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पहाड़ी डैम परियोजना के लिए दो अनुबंधों[3] में ₹ 10.35 करोड़ का भुगतान निधियों की कमी के कारण अक्टूबर 2021 तक लंबित था। अग्रेतर,

[3] पहाड़ी डैम के स्पिलवे का निर्माण अनुबंध संख्या 01/एसई/2009–10 एवं पहाड़ी बाँध के स्पिलवे के गेटों का निर्माण अनुबंध संख्या 01/एसई/2014–15।

शासकीय खाते में जमा की जाने वाली सेंटेज चार्जेज की धनराशि ₹ 4.99 करोड़ को अनियमित रूप से परियोजना पर व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.99 करोड़ की वित्तीय देयता का सृजन हुआ था।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि ₹ 15.34 करोड़ की लंबित देनदारियों का भुगतान बजट की उपलब्धता के उपरांत कर दिया जाएगा।

dk;k dk fu"iknu

3-3 ck.kIkxj ugj ifj;ktuk ¼mÙkj çn'k½ e vuqcèk çcèku

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बाणसागर परियोजना के अधीन निर्माण कार्य हेतु बाणसागर पोषक नहर, अदवा बैराज, अदवा मेजा लिंक चैनल, मेजा जिरगो लिंक चैनल एवं पूर्व स्थापित नहरों के पुनरोद्धार का कार्य किया गया था जिसकी चर्चा अध्याय–1 में की गयी है। बाणसागर परियोजना के मुख्य घटक निम्नवत थे :

rkfydk 3-5 ck.kIkxj ugj ifj;ktuk ¼mÙkj çn'k½ d çe[k ?kVd

Øå lå	l‍jpuk dk uke	l‍jpuk d ckj e l‍f{kIr
1	बाणसागर पोषक नहर (मध्य प्रदेश में)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35.90 किमी० लम्बे आद नाला के माध्यम से अदवा बैराज को जल वहन हेतु 46.46 क्यूमेक क्षमता वाले 71. 494 किमी० लम्बी लाइन्ड पोषक नहर का निर्माण कराया गया था जैसाकि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।
2	अदवा बैराज (उत्तर प्रदेश में)	अदवा बैराज का निर्माण अदवा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के लगभग 5.00 किमी० डाउनस्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में 46.46 क्यूमेक जल अदवा बैराज से डायवर्ट कर मेजा डैम में पहुंचाने हेतु किया गया था।
3	अदवा मेजा लिंक चैनल (उत्तर प्रदेश में)	अदवा बैराज से पूर्व स्थित मेजा जलाशय में जल स्थानांतरित करने के लिए 46.46 क्यूमेक क्षमता वाले 25.6 किमी० लम्बे लिंक चैनल का निर्माण किया गया है।
4	मेजा–जिरगो लिंक चैनल (उत्तर प्रदेश में)	मेजा जलाशय से पूर्व में स्थित जिरगो जलाशय में 16.43 क्यूमेक जल स्थानान्तरण हेतु 74.13 किमी० लम्बे मेजा–जिरगो लिंक चैनल का निर्माण किया जाना था। मेजा–जिरगो लिंक चैनल से जिरगो जलाशय में जल पहुंचने से पूर्व बरौंधा रजवाहा, हरई नहर प्रणाली एवं लोअर खजुरी नहर प्रणाली को जल उपलब्ध कराया जाना था।
5	मेजा–कोटा पोषक नहर (उत्तर प्रदेश में)	9.21 क्यूमेक क्षमता वाली 3.577 किमी० लम्बी मेजा–जिरगो लिंक चैनल का निर्माण कर पूर्व में स्थित कोटा रजवाहा, उपरौध रजवाहा, बेलवनिया अल्पिका नहर आदि में जल पहुंचाया जाना था।
6	पुरानी नहरों का पुनरोद्धार (उत्तर प्रदेश में)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त जल वहन हेतु पूर्व में स्थित मुख्य नहर/शाखा नहर/रजवाहों एवं अल्पिकाओं नहर प्रणालियों के पुनरोद्धार का कार्य किया जाना था ।

बाणसागर परियोजना के कार्य वर्ष 1997–98 में ₹ 330.19 करोड़ की लागत से आरम्भ कर वर्ष 2004 तक समाप्त किये जाने थे। तदोपरांत, ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण, विभाग ने पहले से चल रहे अनुबंधों[4] को निरस्त कर और परियोजना कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से उच्च मूल्य के एक अनुबंध के माध्यम से शेष

[4] पुराने अनुबंधों का विवरण जिनको रद्द नहीं किया गया था और जो जनवरी 2013 के बाद भी चले आ रहे थे जिनका विवरण अधीक्षण अभियंता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

कार्य को निष्पादित करने का निर्णय (जुलाई 2012) लिया था। तदोपरान्त, 45 चल रहे अनुबंधों को निरस्त कर दिया गया और कार्यों की शेष मात्राओं की गणना की गई थी। शेष कार्यों को 94 बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में बांटा गया था। इन 94 बीओक्यू के शेष कार्यों के निष्पादन के लिए सितंबर 2012 में निविदा आमंत्रित की गयी। मैसर्स रित्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) के साथ जनवरी 2013 में ₹ 402.52 करोड़ की लागत का अनुबन्ध गठित किया गया तथा कार्य जनवरी 2015 तक पूर्ण किये जाने थे।

3-3-1 'k"k dk;ksa dk fuèkkj.k

बाणसागर परियोजना के अवशेष कार्यों एवं अन्य कार्यों को 94 बीओक्यू में विभाजित कर कुल प्राक्कलित लागत ₹ 403.46 करोड़ (अनुबंधित लागत ₹ 402.52 करोड़) का निर्धारण विभाग द्वारा किया गया था जिसकी चर्चा उपरोक्त प्रस्तर में की गयी है । अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 94 बीओक्यू में 45 निरस्त किये गये अनुबंधों को अवशेष कार्यों एवं अन्य कार्यों जिन्हें पूर्व में नहीं संपादित कराया गया था, को सम्मिलित किया गया था । अग्रेतर, पाया गया कि नई बीओक्यू में निरस्त अनुबंधों की अवशेष मात्रा परिवर्तित कर शामिल किया गया था और अधिकतर कार्य मदों की मात्राओं में निरस्त अनुबंधों की अवशेष मात्राओं के सापेक्ष बहुत अधिक मात्रा गणना में शामिल की गयी थी । इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और पाया गया कि 10 चयनित अनुबंधों में से 7 अनुबंधों में अवशेष कार्यों के 2 से 10 कार्य मदों को नई बीओक्यू में शामिल किया गया था जिसकी मात्राओं में 11 से 838 प्रतिशत (लागत ₹ 5.28 करोड़) की वृद्धि की गयी थी। एक बीओक्यू[5] में पत्थर की खुदाई की मात्रा 57 गुना तक बढ़ा दी गयी थी जिसका विवरण *ifjf'k"V&3-2* में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में जांच किये गए अभिलेखों से यह ज्ञात नहीं हो सका था कि नई बीओक्यू में निरस्त अनुबंधों की अवशेष कार्यों की मात्राओं में किन कारणों एवं परिस्थितियों में वृद्धि की गयी थी। इस प्रकार, कार्य मदों की मात्राओं में असामान्य परिवर्तनों को लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2022) कि 45 पुराने अनुबंधों को निरस्त करने के बाद, अदवा मेजा लिंक नहर के नए काम और बाद में साइट की आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत कुछ अन्य कार्य तथा 45 अनुबंधों के शेष कार्यों को शामिल करके 94 बीओक्यू तैयार किए गए थे।

शासन द्वारा यद्यपि नए बीओक्यू में, पुराने निरस्त अनुबंधों की शेष मात्रा बढ़ाने का कारण नहीं बताया गया। तथ्य यह रहा कि विभाग द्वारा तैयार की गई शेष मात्रा को नए अनुबंध में बिना किसी औचित्य के बढ़ाया गया था, जोकि ठेकेदारों को अधिक भुगतान के जोखिम से भरा हुआ था।

3-3-1-1 /kjkgj /kujkf'k dk tCr u fd;k tkuk

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरस्त किए गए 45 अनुबंधों में से, 11 अनुबंधों में, जिन्हें अनुबंधों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य न करने के

[5] बीओक्यू संख्या 59018/एमजे/11/डीआरएक्स ।

आधार पर निरस्त कर दिया गया था, मार्च 2021 तक धरोहर धनराशि को जब्त नहीं किया गया था जैसा कि अनुबंध के नियमों और शर्तों मे शामिल था। इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया था *(ifjf'k"V&3-3)*।

उत्तर में, शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि 11 अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है और तदनुसार ठेकेदारों की जमानत जमा को जब्त करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

3-3-2 fufonk dh 'krksZa dk foyEc ls çfof"V

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 6 के प्रस्तर 360 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी निविदा को अनिवार्य रूप से खुले और सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। सरकारी गजट अथवा समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएं ताकि, सभी संभावित निविदादाता, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य का संज्ञान ले सकें और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें तथा कार्य को प्रतिस्पर्धी एवं लागत को मितव्ययी बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, मण्डल–2 मीरजापुर ने टेण्डर नोटिस के माध्यम से बाणसागर नहर परियोजना के शेष कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्व अर्हता निविदा (सितम्बर 2012) आमंत्रित किया था। संभावित निविदादाताओं से निविदाएं 24 सितम्बर, 2012 तक प्राप्त की जानी थी और इन्हें 25 सितम्बर, 2012[6] को खोला जाना था।

इस संबंध में अभिलेखों की अग्रेतर जांच में पाया गया कि निविदा समिति द्वारा चार निविदादाताओं को वित्तीय निविदा में भाग लेने के लिए पूर्व अर्हता निविदा मूल्यांकन में पात्र पाया। निविदा समिति ने वित्तीय निविदा में भाग लेने के लिए दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 को चार सफल निविदादाता को प्रस्ताव अग्रेषित कर उन्हें 26 अक्तूबर, 2012 तक वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने हेतु कहा जिसे बाद में बढ़ाकर 05 नवम्बर 2012 तक कर दिया गया। प्रत्युत्तर में, चार निविदादाता ने वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जिनका मूल्यांकन 05 नवम्बर, 2012 को निविदा समिति द्वारा किया गया था। निविदा समिति ने आर.पी.पी.एल को न्यूनतम निविदादाता पाया और आर.पी.पी.एल के साथ जनवरी 2013 में अनुबंध का गठन किया गया।

इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में, राज्य सरकार ने (18 अक्टूबर 2012) इस्पात, श्रम, पेट्रोल और ल्युब्रिकेन्ट (पीओएल) तथा सीमेंट जैसे मदों की लागत को बाजार मूल्य सूचकांक के आधार पर समायोजित करने के लिए सिंचाई कार्यों के अनुबंधों के लिए प्राइस एस्केलेसन क्लॉज़ को शामिल करने का निर्णय लिया। तदनुसार, अधीक्षण अभियंता ने (20 अक्तूबर, 2012) अनुबंध में इस क्लॉज को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और चार निविदादाता को ई–मेल द्वारा निविदा की विशेष शर्त में परिशिष्ट को शामिल करने का प्रस्ताव जारी किया। साथ ही अग्रीगेट्स की दरों में मूल्य समायोजन हेतु एक नए पैराग्राफ को भी शुद्धिपत्र के रूप में ई–मेल कर सूचित किया गया। अनुबंध की शर्तों में किये गए इन परिवर्तनों ने मूल रूप से निविदा को बदल दिया था क्योंकि यह परियोजना के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारों के लिए

[6] निविदा के डालने एवं खोलने की संशोधित तिथियाँ क्रमशः 27 सितम्बर और 28 सितम्बर 2012 थी।

अधिक लाभकारी थी। अतः अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा को पारदर्शी बनाने के लिए नई निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी तथापि अधीक्षण अभियंता ने पूर्व अर्हता निविदा में अर्ह पाये गये। चार निविदादाता को अधिसूचित करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार निविदा की विशेष शर्त निविदा प्रक्रिया के मध्य में आरंभ की गई थी जिसने प्रतियोगिता को केवल चार निविदादाताओं तक ही सीमित रखा जिन्हें तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित किया गया था। यदि निविदा आमंत्रण के समय प्राइस एडजस्टमेंट की शर्त लागू की जाती तो अन्य संभावित निविदादाता भी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते थे।

इस प्रकार, मूल्य समायोजन क्लॉज़ को विलम्ब से प्रविष्टि किये जाने के कारण पारदर्शिता का अभाव था जिसके फलस्वरूप मात्र चार निविदादाताओं को लाभकारी शर्तों के बारे में सूचित किया गया जिनमें से एक को (आर.पी.पी.एल) अनुबंध हेतु चयनित किया गया। यह पाया गया कि सामग्री (सीमेंट और इस्पात), श्रम, पीओएल और एग्रीगेट्स पर प्राइस एस्केलेसन के फलस्वरूप मार्च, 2019 तक आर.पी.पी.एल को ₹ 89.22 करोड़ का भुगतान किया गया था।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि बाजार मूल्य सूचकांक में बदलाव के कारण श्रम, सीमेंट और इस्पात की कीमतों में उतार–चढ़ाव को समायोजित करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों को तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित चार निविदादाता को वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सूचित किया गया था।

वास्तविकता यह रही कि मूल्य समायोजन क्लॉज के कारण निविदा की मौलिक धारणाओं में परिवर्तन किया गया। तथापि, प्रतिस्पर्धी निविदा प्राप्त करने के लिए और अधिक निविदादाताओं को आकर्षित करने के लिए इसे खुले और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के बजाय इसे तकनीकी निविदा मूल्यांकन के बाद चयनित चार निविदादाता को ही सूचित किया गया था। उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था कि निविदादाता का चयन उचित था और अनुबंध को न्यूनतम संभावित लागत पर दिया गया था।

3-3-2-1 eY; lek;kstu dk vuqfpr Hkqxrku

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निविदा की विशेष शर्त (परिशिष्ट) में श्रम, सीमेंट और पीओएल के मूल्यों में परिवर्तन के कारण कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार के लिए मूल्य समायोजन के भुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया था। हालांकि अनुबंध में प्रतिशत के रूप में प्रत्येक घटक के अंश को निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसे निर्धारित फार्मूला के अनुसार मूल्य समायोजन के भुगतान के लिए लागू किया जा सके। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, की अध्यक्षता में गठित समिति (मार्च 2015) ने निर्णय लिया कि श्रम, पी.ओ.एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर मूल्य समायोजन हेतु लागू प्रतिशत क्रमशः 80 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होगा। प्रतिशत प्रभार के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ का प्रकरण पूर्व लेखापरीक्षा (जनवरी, 2019) द्वारा उठाया गया था क्योंकि विभाग ने एग्रीगेट्स पर भी मूल्य समायोजन की अनुमति दी थी जो कि पहले से श्रम, पी.ओ. एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर लागू मूल्य समायोजन के 100 प्रतिशत से अधिक थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर

परियोजना की अध्यक्षता में गठित एक अन्य समिति (जनवरी, 2020) ने पहले के निर्णय को संशोधित कर दिया और श्रम, पी.ओ.एल. एवं सामग्री (केवल इस्पात और सीमेंट) पर लागू प्रतिशत अंश क्रमशः 51.85 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 17.76 प्रतिशत का पुनः निर्धारण किया गया ।

लेखापरीक्षा में संबंधित अभिलेखों की जांच की गई और पाया गया कि वर्ष 2015 में निर्धारित श्रम, पीओएल, सीमेंट तथा इस्पात का प्रतिशत हिस्सा कुछ पुराने अनुबंधों में तय की गई दरों पर आधारित था जिन्हें वर्ष 1997–98 में बाणसागर नहर परियोजना के कार्य को करने हेतु गठित किया गया था। वर्ष 1997–98 में गठित इन अनुबंधों के आधार पर इन घटकों का प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किए जाने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। अनुवर्ती समिति ने प्रतिशत हिस्से की समीक्षा करते समय, पीओएल के अंश को 15 प्रतिशत पर बनाए रखा और सामग्री (सीमेंट और इस्पात) की हिस्सेदारी 17.76 प्रतिशत संशोधित की, जिसे समिति के अनुसार वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया था।

श्रम घटक के प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने के लिए, समिति ने अन्य सामग्री (7.14 प्रतिशत) और एग्रीगेट्स (8.25 प्रतिशत) की लागत को मूल्य समायोजन के दायरे से बाहर रखा और कार्य की लागत के शेष भाग (100 प्रतिशत–48.15 प्रतिशत[7] = 51.85 प्रतिशत) को श्रम घटक के रूप में रखा। श्रम घटक के रूप में 51.85 प्रतिशत की पूरी शेष राशि पर विचार करना गलत था, क्योंकि कार्य की लागत में ठेकेदार के लाभ (10 प्रतिशत) और टूल्स और प्लांट (2.5 प्रतिशत) भी शामिल थे, जिस पर मूल्य समायोजन देय नहीं था इसलिए इसे श्रम घटक में नहीं लिया जाना चाहिए था। श्रम लागत में कुछ अन्य घटकों को शामिल किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि समिति ने घटकों का व्यापक विश्लेषण नहीं किया था।

उल्लेखनीय है कि विभाग ने एक अन्य सिंचाई परियोजना कार्य, सरयू नहर परियोजना (एस.सी.पी), जो राज्य के पूर्वी भागों में सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए इसी अवधि के दौरान चल रही थी, में मूल्य समायोजन फार्मूला हेतु श्रम और पीओएल की प्रतिशत अंश क्रमशः 13.10 प्रतिशत एवं 11.47 प्रतिशत[8] निर्धारित की थी। सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना दोनों ही प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें गहरी नहरों की खुदाई के साथ–साथ ठोस अवसंरचना का निर्माण किया गया। अतः विभाग मूल्य समायोजन की अनुमति देने के लिए बाणसागर नहर परियोजना में संघटकों के प्रतिशत हिस्से का निर्धारण करने के लिए समान प्रकार की प्रक्रिया अपना सकता था। श्रम और पी.ओ.एल पर मूल्य समायोजन का भुगतान सरयू नहर परियोजना (श्रम के लिए 13.10 प्रतिशत और पी.ओ.एल के लिए 11.47 प्रतिशत) के लिए निर्धारित दर पर किये जाने से मात्र ₹ 23.21 करोड़ का भुगतान किया जाता जबकि वास्तविक रूप से ठेकेदार को ₹ 63.14 करोड़ का भुगतान किया गया था ।

दोनों नहर परियोजनाओं के बीच श्रम और पीओएल घटकों के प्रतिशत हिस्से (श्रम घटक में 38.75 प्रतिशत और पीओएल घटक में 3.53 प्रतिशत) में भारी अंतर के कारण मानकीकरण का अभाव तथा मुख्य अभियंता के पास विवेकाधिकार प्रयोग करने की अधिक शक्तियां परिलक्षित हुई। अतः विभाग को बाणसागर नहर परियोजना में कार्य

[7] पी.ओ.एल 15 प्रतिशत+अन्य सामग्री 7.14 प्रतिशत+गिट्टी 8.25 प्रतिशत +सीमेंट और इस्पात 17.76 प्रतिशत

[8] एस.सी.पी में ठेकेदार को दो आइटम श्रम एवं पी.ओ.एल हेतु मूल्य समायोजन प्रदान किया गया था

लागत के संघटकों के प्रतिशत हिस्से के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए थी।

शासन ने उत्तर में (जुलाई, 2022) बताया कि मूल्य समायोजन के तीनों घटक यथा श्रम, पी.ओ.एल, सामग्री (सीमेंट और इस्पात) का निर्धारण मुख्य अभियंता, बाणसागर द्वारा जनवरी, 2015 में गठित समिति द्वारा किया गया था एवं जनवरी 2020 में इसका पुनर्निर्धारण किया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि कि सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कैमूर रेंज और लोअर विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों पर बाणसागर नहर परियोजना का कार्य किया गया था जबकि सरयू नहर परियोजना का कार्य घाघरा एवं राप्ती नदियों के मैदानी भागों में किया गया था।

यदि शासन का उक्त तर्क कि, सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना में भू–भाग का अंतर था, को स्वीकार किया जाये, तब भी बाणसागर नहर परियोजना की नहरों की खुदाई तथा अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः पत्थरों को ब्लास्टिंग के द्वारा तोड़ कर किया गया था। इस प्रकार के कठिन और पहाड़ी हिस्सों में नहरों के निर्माण कार्य में, मानव श्रम का उपयोग सीमित रहता है क्योंकि मशीनों का उपयोग करके कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सरयू नहर परियोजना की तुलना में बाणसागर नहर परियोजना में श्रम और श्रम घटक में मूल्य समायोजन का उपयोग कम होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा मूल्य समायोजन में श्रम और पी.ओ.एल घटकों के प्रतिशतता के निर्धारण हेतु किये गये आधार के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इस प्रकार, श्रम और पी.ओ.एल के प्रतिशत को प्राइस एडजस्टमेंट हेतु लिया जाना तदनुसार ठेकेदार को इन मदों पर मूल्य समायोजन के भुगतान को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका ।

3-3-3 ekcykbt'ku vfxe dk vfu;fer Hkqxrku

निविदा की विशेष शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा यदि अनुरोध किया जाता है तो निविदा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक मोबलाइजेशन अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाना था। यह ठेकेदार को देय ब्याज मुक्त अग्रिम था जिसे ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि परियोजना प्राधिकारियों ने मोबलाइजेशन अग्रिम का अधिकतम अनुमन्य अग्रिम ₹ 20.13 करोड़ के बजाय आर.पी.पी.एल को ₹ 23.83 करोड़[9] की राशि का भुगतान (मार्च 2013 से मार्च 2015) किया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 3.70 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था जो उसके बाद के बिलों से वसूली योग्य था ।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा ₹ 74.00 करोड़ के अतिरिक्त कार्य मद के सापेक्ष बैंक गारंटी उपलब्ध करायी थी इसलिए ₹ 3.70 करोड़ की धनराशि मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा इसे ठेकेदार के बिलों से समायोजित कर लिया गया था।

[9] अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड 5 मीरजापुर द्वारा ₹ 10.06 करोड़ तथा अधिशासी अभियंता, बाणसागर नहर निर्माण खंड 8 मीरजापुर द्वारा ₹ 13.76 करोड़।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ठेकेदार को निविदा मूल्य के आधार पर मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए अनुबंध में प्रावधान किया गया था और अनुबंधित कार्य की अतिरिक्त मद पर ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं था। उल्लेखनीय है कि ऐसी समान परिस्तिथियों में कार्य की अतिरिक्त मदों के कारण कार्य क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति में ठेकेदारों से इस वृद्धि हेतु अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्यूरिटी प्राप्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं था।

3-4 ygpqjk Mse ifj;kstuk esa vuqca/k çcU/ku

लहचुरा डैम परियोजना और सम्बंधित पहाड़ी बांध परियोजना में मौजूदा वियर जिसमे फालिंग शटरिंग के गेटेड बैराज के स्थान पर बांधों का निर्माण किये जाने की परिकल्पना की गयी थी। लहचुरा डैम परियोजना का कार्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को 2005 में ₹ 61.84 करोड़ की अनुबंधित लागत से प्रदान गया था जिसे मार्च 2015 में ₹ 328.30 करोड़ की धनराशि व्यय कर 7 वर्षों की देरी[10] से पूर्ण किया गया। तदोपरांत लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्यों[11] (अनुमानित लागत ₹ 21.69 करोड़) के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता, परियोज़ना बेतवा, झांसी ने एक प्रस्ताव (2015&16) तैयार किया, जो मूल परियोजना में सम्मिलित नहीं किए गए थे और इन्हें पूर्ण करना अपरिहार्य था। इन सहायक कार्यों के निष्पादन के लिए जनवरी 2016 में ₹ 13.69 करोड़ की अनुबंधित लागत पर मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन कंपनी झांसी को कार्य प्रदान किया गया जिसे ₹ 19.30 करोड़ के व्यय से मार्च, 2017 में पूर्ण किया गया था।

पहाड़ी डैम परियोजना के कार्यों के निष्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता ने फ़रवरी 2009 में स्पिलवे और मिट्टी के तटबंध के निर्माण हेतु ₹ 90.89 करोड़ की लागत से मैसर्स घनाराम (इंजीनियर एवं कांट्रेक्टर) के साथ अनुबंध गठित किया गया था एवं अक्टूबर 2014 में स्पिलवे के गेटों के निर्माण हेतु ₹ 90.40 करोड़ की लागत से मैसर्स घनाराम इन्फ्राइंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध गठित किया गया था। इन दोनों अनुबंध के तहत कार्य नवंबर 2017 और अक्टूबर 2017 में क्रमशः ₹ 200.19 करोड़ और ₹ 101.62 करोड़ के व्यय कर कार्य पूर्ण किए गए थे। स्पिलवे का कार्य निर्धारित समय से 5 वर्षों से अधिक देरी से एवं स्पिलवे पर गेटों का निर्माण निर्धारित समय से 1 वर्ष की देरी से पूर्ण किया गया था।

आगामी प्रस्तरों में प्रमुख लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

3-4-1 dk;Z dh Lohd`fr ls iwoZ fufonk vkea=.k

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 6 के पैराग्राफ 370 में वर्णित है कि कोई भी प्राधिकारी किसी कार्य के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है जब तक सक्षम प्राधिकारी से यह आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ हो कि वह इसके लिए निधियां उपलब्ध कराएगा ताकि ऐसी निधियां देनदारी से पहले आवंटित की जा सकें। वित्तीय हस्पुस्तिका के खण्ड 6 के पैराग्राफ 375 में आगे यह परिकल्पना की गई है कि कोई कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाए जब तक समुचित रूप से विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन स्वीकृत न हो,

[10] कार्य समाप्त होने की वास्तविक तिथि वर्ष 2008 में थी।

[11] स्पिलवे (सुरक्षा कार्य) के डाउनस्ट्रीम में रिटेनिंग वाल का निर्माण ,बाढ़ गेटों (स्काडा प्रडाली) का ऑटोमेसन ,मार्जिनल बाँध पर पहुँच मार्ग का निर्माण ,लहचुरा डैम के अपस्ट्रीम में लैंड स्केपिंग एवं अन्य विकास कार्य

निधियों का आवंटन किया गया हो तथा कार्य शुरू करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत न किए गए हो।

लेखा परीक्षा की जांच से पाया गया कि लहचुरा डैम परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरांत ₹ 21.69 करोड़ की लागत के लहचुरा बांध के सहायक कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2015) मुख्य अभियंता, परियोजना बेतवा, झॉसी द्वारा प्रदान की गई थी। अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, महोबा ने सितम्बर, 2015 में निविदा को आमंत्रित किया था और इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा जनवरी, 2016 में ठेकेदार के साथ ₹ 13.69 करोड़ की लागत से अनुबंध गठित किया गया था। तथापि, शासन ने जुलाई, 2016 में परियोजना के लिए ₹ 19.30 करोड की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता ने अनियमित रूप से परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति से 10 महीने पूर्व ही निविदा को आमंत्रित कर दिया था। यहां तक कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने से पांच महीने पहले ठेकेदार के साथ अनुबंध भी गठित कर लिया गया था, जो कि अनियमित था।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि अनुबंध के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। यद्यपि लेखापरीक्षा में उठाये गए बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। राज्य सरकार को उक्त कार्य के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति से पूर्व निविदा के अनियमित प्रकाशन पर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित की जानी चाहिए।

3-4-2 vik= Bsdsnkjksa dk dk;Z çnku djuk

शासनादेश में निहित प्रावधान (2001) के अनुसार निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं की तकनीकी और वित्तीय बिड का मूल्यांकन कुशल और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानकों में शिथिलता नहीं दी जानी चाहिए और मूल्यांकन की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए जिसका निविदा में भी उल्लेख किया गया हो। तकनीकी मूल्यांकन में विफल रहने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सहायक कार्यों के निष्पादन के लिए सितंबर 2015 में निविदा की शर्तें जारी की गई थी जिसके अनुसार ठेकेदार 'एए' श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हो, समान प्रकृति के कार्य निष्पादन का अनुभव हो तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में ₹ 15 करोड मूल्य के नहर के कार्य निष्पादित किए गए हों। लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्य के लिए मेसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी ने निविदा में प्रतिभाग किया और तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी को ₹ 8.13 करोड़ की लागत से कम मूल्य के कार्यों के अनुभव के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह घोषित किया गया था जो निविदा की शर्तों का उल्लंघन था।. वित्तीय निविदा खोलने के बाद न्यूनतम निविदादाता को जनवरी, 2016 में लाहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्य के लिए मैसर्स हरि कंस्ट्रक्शन झांसी को कार्य प्रदान किया गया था। इस प्रकार यह कार्य अपात्र ठेकेदार

को प्रदान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 11 माह की देरी से कार्य पूर्ण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई विभाग द्वारा 1986 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सिविल कार्यों तथा विद्युत/यांत्रिक कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूची अलग से बनाई जाएगी। किसी वर्ग विशेष में सूचीबद्ध ठेकेदार उसी श्रेणी के कार्य में ही निविदा के पात्र होंगे।

अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, महोबा ने पहाड़ी डैम परियोजना में बांध पर गेटों के निर्माण का कार्य अक्तूबर, 2014 में मेसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 90.40 करोड़ थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कि अधिशासी अभियंता द्वारा निविदा दस्तावेज में संभावित निविदादाताओ के सम्बन्ध में यह उल्लेख नहीं किया था कि यांत्रिक श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदार ही पहाड़ी बांध स्पिलवे के डिजाइन, निर्माण और स्टील फाटकों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मैसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु 'एए' श्रेणी के ठेकेदार के रूप में सिंचाई विभाग के साथ पंजीकृत किया गया था और वह निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं थे। तथापि, ठेकेदार को निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और बाद में उसे कार्य भी सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार ने कार्य पूर्ण करने की समयसीमा का पालन नहीं किया एवं एक वर्ष की देरी से कार्य पूर्ण किया।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि अनुबंध के तहत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। तथापि, पहाड़ी डैम परियोजना के अंतर्गत अपात्र ठेकेदार को कार्य देने के बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

3-4-3 परफॉरमेंस सिक्यूरिटी का कम लिया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 614 और 615 के अनुसार ठेकेदार अपनी निविदा स्वीकार किए जाने के एक सप्ताह के भीतर परफॉरमेंस सिक्यूरिटी (अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत) जमा करेगा।

वित्तीय नियमों और निविदा की शर्तों के विपरीत पहाड़ी बांध स्पिलवे का निर्माण और इसके सहायक कार्य परियोजना हेतु परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में ठेकेदार द्वारा जमा किए जाने के लिए अपेक्षित ₹ 9.08 करोड़ में से अनुबंध निष्पादित करते समय ठेकेदार से केवल ₹ 4.54 करोड़ (फरवरी, 2009) ही प्राप्त किए गए थे। मुख्य अभियंता ने (अप्रैल, 2009) ठेकेदारों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था कि शेष परफॉरमेंस सिक्यूरिटी ₹ 4.54 करोड़ की राशि ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी। यद्यपि बिलों से ₹ 4.54 करोड़ की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार, ठेकेदार को इस राशि का अनुचित लाभ दिया गया था।

शासन ने कहा है कि अनुबंध के तहत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। यद्यपि लेखापरीक्षा की टिप्पणी में उठाए गए बिन्दुओं पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। राज्य सरकार ठेकेदार से शेष परफॉरमेंस सिक्यूरिटी वसूल नहीं करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

3-4-4 lqjf{kr vfxze dk vfu;fer Hkqxrku

पहाड़ी डैम स्लिपवे और इसके अनुषंगी कार्यों का निर्माण की परियोजना हेतु (अनुबंध संख्या 01/एसई/2008.09) खंड ने कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की मापी गयी मात्रा के सापेक्ष ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम के रूप में ₹ 20.89 करोड़ का भुगतान किया। इसी प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के कार्य हेतु वर्ष 2013–18 के दौरान कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री की मापी मात्रा के सापेक्ष ठेकेदारों को ₹ 15.28 करोड की सुरक्षित अग्रिम राशि की धनराशि का भुगतान किया गया था *(ifjf'k"V&3-4)*। दोनों अनुबंधों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम भुगतान के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान शासकीय अनुबंध के दायित्वों से परे था और इस प्रकार, अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप दोनों ठेकेदार लाभान्वित हुए।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम राशि दी गई। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अनुबंध के नियम और शर्तों में ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

3-4-5 ygpqjk Mse ifj;kstuk ls [kqnkbZ esa çkIr xzsukbV iRFkj dh ykxr olwy u fd;k tkuk

लहचुरा डैम के आधुनिकीकरण कार्य के दायरे में अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई शामिल थी। ठेकेदार (मेसर्स ई.पी.आइ) के साथ निष्पादित किए गए एम.ओ.यू की नियम एवं शर्तों (दिसम्बर, 2005) में यह प्रावधान था कि बांध एवं इसके अनुषंगी कार्यों की खुदाई से प्राप्त सभी उपयुक्त सामग्री आवश्यकता के अनुसार डिस्पोजल एरिया प्लान तैयार करके परियोजना की विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। डिस्पोजल प्लान में शामिल नहीं की गई सामग्रियों को खुदाई स्थल से 500 मीटर के क्षेत्र में उचित रूप से स्टैक किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च, 2006 से मार्च, 2015 के दौरान मिट्टी की खुदाई में 2.78 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त किए गए थे तथा कार्यस्थल के पास में स्टैक किये गये थे और इन्हें स्टॉक लेखे में दर्ज किया गया था। तथापि, एम.ओ.यू के प्रावधानों के विपरीत, ग्रेनाइट पत्थर की सम्पूर्ण मात्रा मार्च 2006 से मार्च 2015 के दौरान ठेकेदार को निर्गत कर दी गई थी। अभिलेखों की जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि कार्यों की चार मदों यथा रैंडम रबल स्टोन मेसोनरी ,लौन्चिंग एप्रन, रॉक टो फ़िल्टर और स्टोन पिचिंग (आधुनिकीकरण कार्य का हिस्सा) में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाना था। इस प्रकार ठेकेदार ने इन कार्यों पर 1.50 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया और खंड ने ग्रेनाइट पत्थर के उपयोग के बदले इन चार कार्य मदों के लिए ठेकेदार को भुगतान करते समय ₹ 4.28 करोड़ (रॉयल्टी सहित)[12] की कटौती की थी। शेष 1.28 लाख घन मीटर ग्रेनाइट पत्थर जिसका मूल्य ₹ 5.67 करोड़[13] था, अक्तूबर 2022 तक ठेकेदार के पास थे। इस प्रकरण को पूर्व में ''त्वरित सिंचाई लाभ

[12] प्रभावी दरों पर

[13] लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015 के एस.ओ.आर में निर्धारित रु 445 प्रति घन मीटर की दर से (रॉयल्टी की लागत रु 75 प्रति घन मीटर को शामिल कर)

कार्यक्रम'' के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन सं. 22) के प्रस्तर 4.9.6 अनुलग्नक 4.16 में प्रकाशित किया गया था।

तथापि, खण्ड ने कार्य पूरा होने की तारीख से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ठेकेदार के पास उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थर की शेष मात्रा को वापस करने के लिए न तो कोई पत्राचार किया गया न ही ठेकेदार पर ग्रेनाइट पत्थरों की कीमत आरोपित कर उसकी वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि एम.ओ.यू के अनुसार, खुदाई में प्राप्त सामग्रियाँ प्रयोग के लिए उपयुक्त न होने के कारण ठेकेदार से कोई वसूली नहीं की गयी थी।

शासन ने उत्तर दिया कि ठेकेदार के पास शेष ग्रेनाइट अपशिष्ट था जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। चूंकि सभी ग्रेनाइट को समुचित रूप से स्टैक किया गया था, इसे स्टॉक लेखे मे दर्ज किया गया था तथा ठेकेदार को निर्गत भी किया गया था। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2022) कि ठेकेदार के पास उपलब्ध शेष ग्रेनाइट पत्थरों की कीमत की वसूली की जाएगी।. इस प्रकार, शासन और संबंधित निर्माण खंड के उत्तरों में विरोधाभास था। इसलिए यह आवश्यक है कि शासन इस प्रकरण की जांच कराये और ग्रेनाइट को ठेकेदार को जारी करने में अनियमितता एवं ग्रेनाइट की लागत की वसूली न किये जाने वाले दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करे ।

3-4-6 Je midj dh dVkSrh uk fd;k tkuk

"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2009 के अनुसार निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रमिक उपकर नियोक्ता से वसूल किया जाना था और इसे श्रम कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लहचुरा डैम परियोजना के निर्माण और लहचुरा डैम परियोजना के सहायक कार्यों के निर्माण लिए क्रमशः ₹ 328.30 करोड़ और ₹ 19.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें कार्यों की लागत, आकस्मिक व्यय और श्रम उपकर शामिल थे। लहचुरा बांध के प्राक्कलन में ₹ 90.87 लाख के श्रम उपकर की राशि का प्रावधान किया गया था जबकि ठेकेदार द्वारा श्रम उपकर का भार वहन किया जाना था। इसलिए प्राक्कलन में अलग प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि खण्ड ने परियोजना कार्यों की अन्य मदों पर श्रम उपकर के लिए आवंटित निधियों का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.00 लाख के श्रम उपकर की (₹ 79.97 करोड़[14] कार्यों के मूल्य का एक प्रतिशत) ठेकेदार के बिलों से कटौती नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि दिसम्बर, 2010 के शासनादेश के अनुसार श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार पहाड़ी डैम परियोजना में ₹ 354.20 करोड़ के प्राक्कलन में श्रम उपकर के लिए ₹ 2.54 करोड़ का प्रावधान किया गया था। खण्ड ने श्रम उपकर के रूप में आवंटित ₹ 2.54 करोड़ रुपये में से ₹ 22.31 लाख श्रम बोर्ड को जमा किए और ₹ 2.32 करोड़ की शेष राशि परियोजना कार्यों पर व्यय किया।

[14] शासनादे"ा (दिसम्बर ,2010) के निर्गत होने के बाद भुगतान किये गए 13 बिल के सम्बन्ध में।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹ 3.02 करोड़ (₹ 301.81 करोड़ का एक प्रतिशत) के देय भुगतान में से ₹ 2.64 करोड़ श्रमिक बोर्ड के पास अक्तूबर, 2021 तक जमा कराए गए और श्रम उपकर की शेष धनराशि ₹ 0.37 करोड़ संबंधित खाते में जमा नहीं की गई थी।

शासन ने (जुलाई, 2022) उत्तर में बताया कि कि श्रम उपकर के लिए लहचुरा डैम परियोजना की लागत में ₹ 90.87 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसका उपयोग परियोजना के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि श्रमिक उपकर के रूप में शेष धनराशि की वसूली निधि के आबंटन पर ठेकेदारों के बिलों से की जाएगी।

पहाड़ी डैम परियोजना के संबंध में शासन ने (जुलाई, 2022) बताया कि परियोजना के प्रस्तावित संशोधन में श्रम उपकर से संबंधित विसंगतियों को शामिल किया जाएगा। शासन ने यह भी कहा कि श्रम उपकर के रूप में ₹ 0.37 करोड़ की शेष धनराशि की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जाएगी।

3-5 ck.klkxj ugj ifj;kstuk vkSj ygpqjk Mse ifj;kstuk dh ykxr fofHkUurkvksa dh vuf/kd`r Lohd`fr

राज्य सरकार ने अधिकारियों की वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को परिभाषित करते हुए आदेश[15] जारी किया (जून 1995)। शासकीय आदेश जून 1995 में अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान किया गया था कि मुख्य अभियन्ता को कार्य की लागत में, मूल अनुमानित लागत[16] के अधिकतम 15 प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति का अधिकार होगा और 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

ck.klkxj ugj ifj;kstuk ¼mRrj izns'k½

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर नहर परियोजना के 94 बी.ओ.क्यू. में से 43 में कार्य की लागत, अनुमानित लागत के सापेक्ष 11 से 892 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (कुल अनुमानित लागतः ₹ 215.03 करोड़, लागत में वृद्धिः ₹ 228.04 करोड़)। यह वृद्धि 12 कार्यों में 100 से 892 प्रतिशत, 12 कार्यों में 50 से 99 प्रतिशत एवं शेष 19 कार्यों में 11 से 49 प्रतिशत थी *¼ifjf'k"V 3-5½*। मुख्य अभियन्ता द्वारा इन लागत विचलनों की स्वीकृति प्रदान किया गया था तथा ठेकेदार को धनराशि का भुगतान किया गया, जबकि शासकीय आदेश जून 1995 के क्रम में इसे स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जाना चाहिये था।

अग्रेतर जॉच में पाया गया कि अनुबंध के अन्तर्गत अनुबन्धित मात्रा में भिन्नता के कारण कार्य की लागत में ₹ 84.70 करोड़ और कार्य की अतिरिक्त मदों को शामिल करने के कारण ₹ 143.34 करोड़ की धनराशि की वृद्धि हुई। यद्यपि, न तो मुख्य अभियन्ता को, खण्डों ने विभिन्नताओं के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय और न ही मुख्य अभियन्ता ने खण्डों के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते समय अत्यधिक मात्रा और अतिरिक्त मदों में भिन्नता के लिए स्पष्ट स्वीकार्य कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था। उपर्युक्त 43 कार्यों में से 39 (91 प्रतिशत) में,

[15] शा.सं ए–2–1602/10–95–24 (14) 95 दिनांक 1.06.1995

[16] कार्य अनुमान की तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति तक सीमित।

केवल यह उल्लेख किया गया था कि कार्य स्थल की परिस्थितियों के कारण भिन्नताएं हुईं और शेष चार कार्यों के संबंध में मुख्य अभियन्ता ने कहा कि लागत में भिन्नता डिजाइन में परिवर्तन, नई मदों को शामिल करने, इत्यादि कारणों से हुई।

उत्तर में शासन द्वारा (जुलाई 2022) बताया गया कि कार्य की लागत में भिन्नता राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2018 में अनुमोदित परियोजना की अन्तिम पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 3420.24 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत थी।

ygpqjk MSe ifj;kstuk

लहचुरा डैम परियोजना के सहवर्ती कार्य के सन्दर्भ में, ठेकेदार के साथ गठित अनुबन्ध में कार्य की मात्रा में 26 प्रतिशत से 125 प्रतिशत (लागत ₹ 3.74 करोड़) तक के महत्वपूर्ण विभिन्नता थी *¼ifjf'k"V&3-6½*। इस प्रकरण में भी, मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद भी अत्यधिक विभिन्नता के कारणों को स्पष्ट किये बिना कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्नताएं हुई, अवगत कराया गया जिसे उनके द्वारा अनुमोदित भी किया गया था।

उत्तर में शासन द्वारा (जुलाई 2022) बताया गया कि, यद्यपि मुख्य अभियन्ता ने कार्यों की कुछ मदों में 26 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक की विभिन्नता की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि नहीं हुई।

बाणसागर नहर परियोजना के साथ–साथ लहचुरा डैम परियोजना के प्रकरण में शासन द्वारा बताया गया उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि शासनादेश 1995 में कार्य की अनुमानित लागत, जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का ही एक भाग था, का उल्लेख है, न कि उस परियोजना की सम्पूर्ण लागत का। अग्रेतर, शासन का यह तर्क कि मुख्य अभियन्ता द्वारा विभिन्नताओं की स्वीकृति देने के बावजूद परियोजना की कुल लागत पर कोई असर नहीं पड़ा मान्य नहीं था, जैसा कि बाणसागर नहर परियोजना के विगत पुनरीक्षण में कार्य के छह मदों (सर्विस रोड, मिट्टी के कार्य, संचार व्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वृक्षारोपण और विविध मदें जो प्रस्तर 2.2.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है)। जिनकी लागत ₹ 110.47 करोड़ थी, को परियोजना के कार्य क्षेत्र से आंशिक रूप से बाहर रखा गया था। यद्यपि, व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की लागत से बाहर उक्त मदों के प्रभाव का परीक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता जिन्होंने कार्य की मदों की मूल मात्रा का निर्धारण किया था, उन्होने नई मदों एवं मात्राओं में अत्यधिक वृद्धि बिना औचित्य के अनुमोदित किया था। इस प्रकार, यह प्रकरण जॉच किये जाने योग्य है, क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने जून 2015 के शासनादेश के विरूद्ध निहित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया एवं स्वयं स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी होने के नाते ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। अतः शासन को कार्यस्थल पर कार्य की जॉच कर इस प्रकार की प्रणाली भी तैयार करनी चाहिए ताकि मौजूदा निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जिससे मुख्य अभियन्ताओं द्वारा निर्णयों में मनमानी की स्थितियों से बचा जा सके।

n"Vkr 3-5-1

जनवरी 2013 से पहले हुए अनुबन्धों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अधीक्षण अभियन्ता, बाणसागर नहर परियोजना द्वारा अगस्त 2005 में अदवा बैराज के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया था। अनुबंध के नियमों और शर्तों में निहित था कि अनुबन्धित लागत के 20 प्रतिशत से अधिक होने वाली मात्रा में भिन्नता के प्रकरण में, ठेकेदार के देयक से 1.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक *¼ifjf'k"V&3-7½* की दर से वसूली की जायेगी। इसके अलावा त्रृणात्मक विभिन्नता की स्थिति में ठेकेदार को अनुबंधित मूल्य के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की दरों पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि अगस्त 2005 से जनवरी 2018 की अवधि में ठेकेदार द्वारा ₹ 15.06 करोड़ के अनुबन्धित लागत के सापेक्ष ₹ 38.44 करोड़ (155 प्रतिशत) के मूल्य के कार्यों का निष्पादन किया गया। ₹ 23.38 करोड़ की इस विभिन्नता में, मात्रा में भिन्नता (₹ 9.85 करोड़) और अतिरिक्त मदो (₹ 13.53 करोड़) की धनराशि शामिल थी, जिसे मुख्य अभियन्ता द्वारा जून 1995 के शासकीय आदेश के उल्लंघन में यह कहते हुए अनुमोदित किया गया था कि विभिन्नताएं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार थीं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा मे यह भी पाया कि 46 कार्य मदों में से, 40 मदों में, ठेकेदार ने अनुबंधित मात्रा से अधिक (35 प्रतिशत से 630 प्रतिशत) कार्य निष्पादित किया था और इस प्रकार अनुबन्ध के अनुसार ₹ 98.66 लाख वसूली योग्य था। इसके अलावा, कार्यों की पांच मदों की मात्रा में त्रृणात्मक भिन्नताएं थीं, इसलिए ₹ 38.70 लाख की प्रोत्साहन राशि ठेकेदार को देय थी। किन्तु खण्ड द्वारा अक्टूबर 2021 तक न तो ठेकेदार पर वसूली आरोपित किया गया और न ही ठेकेदार को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋणात्मक भिन्नताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और कार्य के अतिरिक्त निष्पादन के लिए वसूली करने के लिए अनुबंध के नियम और शर्तें स्वयं विरोधाभासी थीं। एक तरफ, ऋणात्मक भिन्नता के लिए प्रोत्साहन की दर (2.5 से 10 प्रतिशत) अतिरिक्त मात्रा में कार्यों के निष्पादन के कारण वसूली की दर (1.25 से 5 प्रतिशत) के सापेक्ष बहुत अधिक थी, जिससे अनुबंध की शर्ते ठेकेदार के अनुकूल हो गई। दूसरी तरफ, विभाग और ठेकेदार के बीच अनुबन्धित मात्रा तक कार्य निष्पादित किया जाना चाहिए और ठेकेदार को कम या अधिक मात्रा में कार्य निष्पादित करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकरण में, कार्य का निष्पादन कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार किया जाना हो तो प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, कार्य की मात्रा में भिन्नताओं के लिए प्रोत्साहन और वसूली प्रदान करने के लिए अनुबंध की शर्तें अनुचित थी।

शासन द्वारा उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर नहीं दिया गया।

3-6 ck.klkxj ugj ifj;kstuk dh vfUrxkr Bsdsnkj dks vfu;fer le;of) fn;k tkuk

बांणसागर नहर परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए आर.पी.पी.एल. के साथ गठित अनुबंध के अनुच्छेद III में परिकल्पना की गई थी कि अनुबंध के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य को कार्य प्रारम्भ किये जाने की सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रारम्भ किया जाएगा और कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि के पूर्व, इसे प्रभारी अभियंता को हस्तांतरण करने के लिए तत्परतापूर्वक निष्पादित और पूर्ण किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों के क्लॉज 5 में वर्णित था कि कार्य को पूरा करने के लिए किसी अपरिहार्य व्यवधान के आधार पर समयवृद्धि प्रदान की जा सकेगी जो उचित आधार पर होगा। अनुबंध के क्लॉज 2(बी) में यह भी निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार प्रगति धीमी रहने पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरपीपीएल के साथ गठित अनुबंध के अन्तर्गत बाणसागर नहर परियोजना का कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 थी लेकिन ठेकेदार अनुबंधित कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 तक कार्य पूर्ण नहीं कर पाया था। ठेकेदार ने पहली बार नवंबर 2014 में 12 महीने के लिए समयवृद्धि हेतु आवेदन किया था। ठेकेदार ने कैमूर रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य के लिए वन भूमि की उपलब्धता में हो रही देरी और विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई कार्यों के ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराये जाने को, कार्य में विलम्ब का कारण बताया गया था। अग्रेतर जॉच में पाया गया कि ठेकेदार ने समयवृद्धि के बाद भी काम पूरा नहीं किया और पुनः जुलाई 2015 से जून 2018 के दौरान समय–समय पर, पांच बार कैमूर रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य के लिए वन भूमि की देरी से उपलब्धता के आधार पर, कई कार्यों के संबंध में ड्राइंग की देरी से उपलब्धता, बारिश के कारण हुए व्यवधान, खराब मौसम, जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल, और सिरसी डैम से मेजा–जिरगो लिंक चैनल में जल छोड़ने से संबंधित निर्माण कार्य में निरंतरता में हो रही बाधा के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु आवेदन किया। यह पाया गया कि प्रत्येक बार मुख्य अभियन्ता बाणसागर नहर परियोजना, ने ठेकेदार के अनुरोधों को स्वीकार किया और बिना किसी लिक्विडेटेड डैमेज आरोपित किये समयवृद्धि प्रदान की थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि यद्यपि कैमूर रेंज की उक्त वन भूमि ठेकेदार को देरी से उपलब्ध कराई गई थी, परन्तु उक्त भूमि अगस्त 2015 में ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा उक्त भूमि पर कार्य पूर्ण नहीं किया और उसके बाद प्रत्येक अवसर पर समय वृद्धि की मांग की गई। अनुबन्ध गठन के समय कार्य समप्ति की निधारित तिथि तय करते समय वर्षा, खराब मौसम जैसी परिस्थितियों का ऑकलन किया गया था इस प्रकार उक्त कारणों पर विचार किया जाना उचित नहीं था। ठेकेदार को ड्राइंग की विलम्ब से उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 22 बीओक्यू के कार्य ही इससे प्रभावित थे। यद्यापि, लेखापरीक्षा में अभिलेखों के अभाव के कारण विश्लेषण नहीं किया जा सका कि किन परिस्थितियों में ठेकेदारों को ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, 94 बी.ओ.क्यू. में से, अधिकतम 60 बी.ओ.क्यू.में ही बाधाओं/अवरोधों के कारण सीमित समय अवधि में कार्य प्रभावित रहे। यद्यापि, ठेकेदार ने सभी 94 बीओक्यू के संबंध में, आमतौर पर लगभग एक ही आधार पर समय वृद्धि की मांग की थी। ऐसी परिस्थितियों में, उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के समयवृद्धि आवेदन प्रपत्रों पर कार्यवार विश्लेषण कर एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में लिखित आदेश पारित कर, विभाग की ओर से विलम्ब के प्रकरणों में समय वृद्धि का निर्णय लेना चाहिए था, जबकि इसके विपरीत, ठेकेदार के जिन आवेदनों पर अवरोध/बाधा नहीं दर्शाया गया था उनको भी सम्मिलित कर मुख्य अभियन्ता द्वारा समस्त 94 बीओक्यू के लिए समयवृद्धि प्रदान की गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबंध की शर्तों में श्रम, पीओएल, सीमेंट, स्टील और एग्रीगेट्स की कीमतों में वृद्धि के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान शामिल था। इस प्रकार, कार्य के लिए समय सीमा बढ़ाने से मूल्य समायोजन के मामले में भी ठेकेदार का अनुचित पक्ष सामने आया। अभिलेखों के अनुसार, मूल्य समायोजन के कारण ठेकेदार को ₹ 89.22 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, मुख्य अभियन्ता की ओर से समयवृद्धि हेतु जानबूझकर ढुलमुल रवैये के कारण ठेकेदार को उसके वैध दावे से अधिक मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया जबकि ठेकेदार अनुबंध के क्लॉज 2(बी) के संदर्भ में कार्य में देरी के लिए अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी था।

शासन द्वारा बताया गया कि (जुलाई 2022) 94 बी.ओ.क्यू में से कुछ में भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और कुछ अन्य बीओयू के कार्य स्थल वन भूमि में स्थित था, जिस पर कार्य करने के लिए वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जून 2018 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रही, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। शासन द्वारा अग्रेतर बताया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मैसर्स ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। जिन बीओक्यू में कोई बाधा नहीं थी, उन्हें समय–सीमा के अनुसार पूर्ण कर लिया गया और उसी के अनुसार मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया।

तथ्य यह है कि, मुख्य अभियन्ता बाणसागर नहर परियोजना द्वारा प्रकरणवार कार्य में बिलम्ब के आधार का विश्लेषण किये बिना ठेकेदार को समय वृद्धि दिया गया था। समयवृद्धि के प्रकरणों में विश्लेषण की कमी के कारण, एवं अभिलेखों में पर्याप्त साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को उचित आधार पर दी गई समयवृद्धि का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। यद्यपि इस संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण निश्चित तौर पर इस बात का संकेत देता है कि मुख्य अभियन्ता इसके लिए प्रासंगिक औचित्य दिए बिना ठेकेदार को समयवृद्धि प्रदान करने में उदार थे।

3-7 xq.koÙkk fu;a=.k

परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण में सामग्री और श्रम का परीक्षण किया जाना शामिल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमोदित मानकों और गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुसार परियोजना के कार्यों को निष्पादित किया गया है।

आरपीपीएल के साथ गठित अनुबंध में, तकनीकी विशिष्टयों में सामग्री[17] और श्रम के संबंध में विनिर्देश प्रदान किए गये थे। गठित अनुबंध के अनुसार सभी कार्य अनुबंध में उल्लिखित विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किए जाएंगे। यदि किसी कार्य का विनिर्देशन अनुबन्ध में नहीं दिया गया है, तो उसे संबंधित भारतीय मानक/इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड ने वर्ष 2013–14 से 2019–20 के दौरान 5603 क्यूब टेस्ट, 202 सीव टेस्ट, पांच सीमेंट टेस्ट, 62 मृदा परीक्षण एवं छह ईंट परीक्षण किय गये थे, जिसमें से 337 क्यूब टेस्ट के नमूने, 28 सीव टेस्ट और चार ईंट परीक्षण विफल घोषित किए गए थे *¼ifjf'k"V&3-8v½*। असफल नमूनों के संबंध में खण्डों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने थे, लेकिन खण्डों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के संबंध में मांग गये अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए 33 बी.ओ.क्यू[18] में एक बार भी नमूना नहीं लिया गया था। इस प्रकार, इन 33 बी.ओ. क्यू. के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 38 बीओक्यू के संबंध में गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की नमूना जांच की गई। क्यूब परीक्षणों के लिए गए नमूनों की संख्या में से 24 बीओक्यू, निर्धारित मानदंडों[19] से कम थी। नमूने लेने में कमी 15 बीओक्यू में 75 से 99 प्रतिशत, छह बीओक्यू में 50 से 75 प्रतिशत और तीन बीओक्यू में 25 से 50 प्रतिशत तक रही। विवरण *ifjf'k"V&3-8c* में दिए गए हैं। इस प्रकार, सीसी कार्य की मजबूती निर्धारित करने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूनों के साथ क्यूब टेस्ट मानदंडों के अनुरूप नहीं लिया गया था।

शासन द्वारा उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया और बताया (जुलाई 2022) कि समय–समय पर गुणवत्ता जांच की गई और संबंधित खण्डों को परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

तथ्य यह है कि निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता पर पर्याप्त आश्वासन लेखापरीक्षा में नहीं सुनिश्चित किया जा सका।

---

[17] सीमेंट, फाइन एवं कोर्स एग्रीगेट, स्टील रिइनफोर्समेंट, अर्थवर्क (कम्पैक्शन), सीमेंट कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट प्वान्टिंग, फॉर्म वर्क, कापर वाटर स्टॉप्स, पीवीसी वाटर सील, वीयरिंग कोर्स, रोडवेज की ड्रेनेज, कापर सील्स, जॉइंट फिलर बोर्ड, जीपी शीट सील।

[18] जनवरी 2013 में आरपीपीएल को प्रदान किये गये 94 बीओक्यू कार्य में से।

[19] एक से पांच घन मीटर के कंक्रीट कार्य की मात्राः एक नमूना, छह से 15 घन मीटर, दो नमूने, 16 से 30 घन मीटर तीन नमूने, 31 से 50 घन मीटर, चार नमूने, 51 एवं अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 50 घन मीटर या उसके भाग के लिए चार प्लस एक अतिरिक्त नमूने।

3-8 ugjk dk vuj{k.k

एक प्रभावी नहर अनुरक्षण प्रणाली के प्रमुख घटकों में समय–समय पर अनुरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना, रखरखाव कार्य की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए नहर संरचनाओं का नियमित सर्वेक्षण करना शामिल है। इसके अलावा, अनुरक्षण कार्य के लिए धन की आवश्यकता का सटीक आकलन, विभाग द्वारा समय पर धनराशि की मांग करना और पर्याप्त धनराशि का आवंटन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था ताकि अनुरक्षण कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।

विभाग ने अनुरक्षण हेतु नहरों को सम्मिलित करने के लिए आवधिकता/चक्र के संबंध में नियमों और मानदंडों को निर्दिष्ट करने वाला कोई मानक निर्धारित नहीं किया। यद्यपि, राज्य सरकार ने कमाण्ड एरिया के आकार के आधार पर नहरों के अनुरक्षण के बजट के लिए मानदंड निर्धारित (दिसंबर 2000) किए हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों[20] में 'इन नहरों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए, मुख्य, शाखा और राजवाहा नहरों हेतु ₹ 978.80 प्रति हेक्टेयर, लघु नहरों हेतु ₹ 908.85 प्रति हेक्टेयर की दर से निधि की आवश्यकता निर्धारित की गई थी।

नमूना जॉच हेतु चयनित खण्डों के अभिलेखों में नहरों की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे करने के संबंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया। इसके अलावा, किसी भी चयनित खण्ड ने नहरों के वार्षिक अनुरक्षण की योजना को तैयार करने के लिए नहरवार अनुमान तैयार नहीं किया था।

बाणसागर नहर परियोजना के नौ नहर प्रणालियों और लहचुरा डैम परियोजना के अन्तर्गत धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के नहरों के अनुरक्षण के लिए क्रमशः ₹ 20.00 करोड़ और ₹ 3.28 करोड़ की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया *¼ifjf'k"V&3-9½*। बाणसागर नहर परियोजना की सात नहर प्रणालियों के संबंध में, अनुरक्षण कार्य पर निधि के आवंटन का विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था क्योंकि संबंधित खण्डों द्वारा अन्य नहर प्रणालियों का भी संचालन कर रहे थे और आवंटन एकमुश्त प्राप्त हुआ था। बाणसागर नहर परियोजना की शेष दो नहर प्रणालियों (टोंस पंप नहर और यमुना पंप नहर) में ₹ 4.50 करोड़[21] की आवश्यकता के सापेक्ष वर्ष 2014–21 के दौरान आवंटन ₹ 1.04 करोड़ से ₹ 1.71 करोड़ था, जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया था। अग्रेतर, धसान नहर प्रणाली के संबंध में, वर्ष 2019–20 में ₹ 3.34 करोड़ को छोड़कर, वर्ष 2014–21 के दौरान ₹ 1.04 करोड़ रुपये से ₹ 1.82 करोड़ आवंटित किए गए थे।

नहरों के वार्षिक अनुरक्षण के संचालन के संबंध में, बार–बार अनुरोध करने के बावजूद, खण्डों ने वर्ष 2014–21 के दौरान अनुरक्षण के लिए चयनित की गई नहरों का विवरण प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा में जॉच हेतु चयनित की गई 29 नहरों के अनुरक्षण के संबंध में अभिलेखों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि सात वर्षों में, दो

[20] राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड (₹ 210 प्रति हेक्टेयर। मुख्य, शाखा और राजवाहा नहरों के लिए और ₹ 195 प्रति हेक्टेयर अल्पिकाओं के लिए) दरों को अद्यतन करने के लिए ऑडिट द्वारा 20 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की दर से यानी 2000 से 2020 तक वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई थी।

[21] मानक के अनुसार गणना की गई।

नहरें एक बार भी वार्षिक अनुरक्षण के लिए चयनित नहीं की गई, छह नहरों को केवल एक वर्ष और चार नहरों को सात वर्षो में से दो वर्षो में अनुरक्षण हेतु चयनित किया गया। विवरण *ifjf'k"V&3-2* में दिया गया है। अग्रेतर, चयनित नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में नहरों की खराब स्थिति झाड़ियों/वनस्पतियों और क्षतिग्रस्त बैंकों से भरे हुए पाए गए थे, को निम्नवत चित्रों में दर्शाया गया है।

Ckk.klkxj ifj;kstuk ds cuoks vfYidk esa flYV ¼foxr vuqj{k.k 2020&21½

/kklku ugj iz.kkyh ds fcyxkao vfYidk esa flY ¼foxr vuqj{k.k 2019&20½

ck.klkxj ifj;kstuk ds nlkSrh vfYidk dh [kjkc fLFkfr ¼foxr vuqj{k.k 2020&21½

ck.klkxj ifj;kstuk ds Hk#guk vfYidk dh [kjkc fLFkfr ¼foxr vuqj{k.k 2019&20½

शासन द्वारा बाणसागर नहर परियोजना से संबंधित उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया गया। लहचुरा डैम परियोजना के बारे में, शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2020–21 में धसान नहर प्रणाली के लिए बजट प्रावधान को प्रतिवर्ष ₹ 148.03 लाख से बढ़ाकर ₹ 400.00 लाख कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि नहर संरचनाओं का उचित रख–रखाव करने के लिए प्रभावी प्रणाली लागू नहीं की गई थी, जिसके कारण नहर संरचनाएं खराब स्थिति में थी। लेखापरीक्षा ने अपर्याप्त रखरखाव वाली 12 नहरों (पिछले सात वर्षों के दौरान शून्य से दो बार) के संचालन का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि इनमें से आठ नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में, लक्ष्य के अनुसार सिंचाई नहीं दी गई और सात नहरों में 68 से 99 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई तथा एक नहर में वर्ष 2014–21 के दौरान कोई सिंचाई नहीं की गई।

lkjk'k e] बाणसागर नहर परियोजना में निधि जारी करने में विलम्ब किया गया जिससे कार्यों में धीमी प्रगति रही। चयनित सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुबंध प्रबंधन में कमी थी। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और केवल कुछ निविदादाताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति देने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसी तरह, लहचुरा डैम परियोजना के कार्यों में निविदा सूचना को कार्यों की स्वीकृति से पहले निर्गत किया गया और अपात्र निविदादाताओं को कार्य प्रदान किये गए। परियोजनाओं के निष्पादन का अनुश्रवण कमजोर था, जिससे बार–बार समय वृद्धि और मात्रा में भिन्नता हुई। विभिन्न घटकों के लिए मूल्य समायोजन के निर्धारण में, ठेकेदारों के समय वृद्धि स्वीकृत करने, इसके अलावा ठेकेदार को अनियमित ब्याज मुक्त अग्रिम जारी करने और ग्रेनाइट एवं श्रम उपकर की लागत की वसूली नहीं करने के संदर्भ में अनुचित पक्ष प्रदान करने में मनमानी की गई। कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण विचारणीय प्रश्न था।

vuq'kalk 5% राज्य सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी अनुबंध की शर्तें लगाकर तथा निविदाओं को व्यापकता के साथ प्रकाशित करा कर निविदा में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना चाहिए और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में हो रही त्रुटियों को दूर करना चाहिए।

vuq'kalk 6% राज्य सरकार बाणसागर नहर परियोजना में श्रम तथा पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट के मूल्य समायोजन के लिए प्रतिशत भारांक प्रदान करने के आधार की समीक्षा कर सकती है तथा वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रतिशत भारांक न लगाकर मनमाने ढंग से इनके भारांक निर्धारित करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है।

vuq'kalk 7% राज्य सरकार को समय–वृद्धि प्रदान करने, लागत भिन्नताओं और अतिरिक्त मदों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादे'ा और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग, शासकीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।